न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3095 /विधि सहरसा, दिनांक 19-10-2023

प्रतिलिपि :- समाहर्त्ता, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आपूर्ति पुन0वाद सं0-36/2022 में दिनांक-17.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आपूर्ति अपीलवाद सं0-08/2018 से संबंधित अभिलेख कुल-54 पन्ना मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहरसा सदर को पारित आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा सदर को पारित आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- निर्मल कुमार सिंह, पिता-महेन्द्र नारायण सिंह, सा0-सोनवर्षाराज, थाना-सोनवर्षाराज, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19.10.23

for प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
17/10/2023		

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद संख्याः–36/2022

निर्मल कुमार सिंह.....पुनरीक्षणकर्त्ता

–बनाम–

राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद निर्मल कुमार सिंह, पिता–महेन्द्र नारायण सिंह, सा0–सोनवर्षाराज, थाना–सोनवर्षाराज, जिला–सहरसा के द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0–08/2018 में दिनांक 22.12.2021 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है।

संदर्भित मामला संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

श्री निर्मल कुमार सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम+पो0–सोनवर्षा के विरूद्ध प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनवर्षा के पत्रांक–38 दिनांक 09.05.2018 के द्वारा जाँच के समय उपस्थित 44 उपभोक्ताओं के द्वारा अपना PHH राशन कार्ड प्रस्तुत करते हुए माह जनवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक का अनाज लाभुकों को नहीं देने, लाभुकों के साथ अभद्र व्यवहार एवं अपशब्द का प्रयोग करने तथा निरीक्षण के समय विक्रेता का दुकान प्रायः बिना सूचना के बन्द रहने संबंधी प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा को समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल कार्यालय, सदर सहरसा के ज्ञापांक 1272–2 दिनांक 29.05.2018 से आरोप–पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विक्रेता से प्रथम स्पष्टीकरण की मांग की गई। इसी बीच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनवर्षा के पत्रांक 56 दिनांक 20.06.2018 से विक्रेता के विरूद्ध अन्त्योदय लाभ योजना की राशि जमा नहीं करने से संबंधित प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा को समर्पित किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल कार्यालय, सहरसा के ज्ञापांक 1766–2/सपत्र, दिनांक 06.07.2018 के द्वारा

विक्रेता को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 09.07.2018 को उपस्थित होने का निदेश दिया गया। उक्त तिथि को विक्रेता द्वारा उपस्थित होकर बयान तथा राज्य खाद्य निगम, सहरसा के खाता में राशि हस्तांतरित करने से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पाया गया कि राशि विलंब से जमा की गई। विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं के द्वारा लगाये गये आरोप के संदर्भ में अपने स्पष्टीकरण के साथ किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण विक्रेता के विरूद्ध आरोप प्रमाणित तथा स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाते हुए विक्रेता से अनुमंडल कार्यालय, सहरसा के ज्ञापांक 2319-2 दिनांक 25.08.2018 से द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गई। विक्रेता द्वारा दिनांक 28.08.2018 को पत्र-प्राप्ति के पश्चात भी दिनांक 10.09.2018 तक कारणपृच्छा समर्पित नहीं किया गया। फलस्वरूप अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा के आदेश ज्ञापांक 2638-2 दिनांक 18.09.2018 से विक्रेता को उपभोक्ताओं को ससमय अनाज नहीं देने, लाभुकों के साथ अभद्र व्यवहार करने, जाँच के समय दुकान बिना किसी कारण के बंद रखने तथा खाद्यान्न हेतु राशि ससमय जमा नहीं करने के आरोप में एवं विक्रेता के द्वारा इस संबंध में दिये गये जवाब को असंतोषप्रद पाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0-1750 दिनांक 10.03.2016 के तहत उनके जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं0-443/2016 को रद्द कर दिया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा में आपूर्ति अपील वाद सं0-08/2018 दायर किया गया, जिसमें सुनवाई के उपरांत दिनांक 22.12.2021 को आदेश पारित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा के आदेश को सम्पुष्ट किया गया तथा अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया, जिसके पुनरीक्षण हेतु प्रस्तुत वाद लाया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता का मूल रूप से कहना है कि अनुज्ञप्ति प्राधिकार द्वारा ज्ञापांक 1272-2 दिनांक 29.05.2018 के द्वारा अनुज्ञप्ति को रद्द करने से संबंधित कारणपृच्छा के साथ शिकायतकर्त्ता का शिकायत-पत्र या जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गई। फिर भी उनके द्वारा आरोप से संबंधित वितरण पंजी, स्टॉक पंजी, कैश मेमो, लाभुकों की सूची तथा राशनकार्ड की छायाप्रति के साथ अपना जवाब दाखिल किया गया, किन्तु उक्त साक्ष्यों का संज्ञान लिये बिना अनुज्ञप्ति प्राधिकार द्वारा उनके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए दूसरी कारणपृच्छा की गई। उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बहस में भाग लेते हुए

बताया गया कि शिकायतकर्त्ता लाभुकों की सूची उन्हें उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उनके द्वारा प्रभावी ढंग से स्पष्टीकरण दाखिल नहीं किया जा सका। साथ ही उनका यह भी कहना था कि अनुज्ञप्ति प्राधिकार के द्वारा भी लाभुकों के आरोपों की जाँच उनके द्वारा उपस्थापित वितरण पंजी तथा लाभुकों की सूची से नहीं की गई। इस तथ्य का संज्ञान अपीलवाद की सुनवाई के क्रम में समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा भी नहीं लिया गया। उनका कहना है कि उनके द्वारा लाभुकों को हमेशा आवंटन के अनुरूप खाद्यान्न तथा किरासन तेल उठाव कर सही मूल्य व वजन के साथ वितरित किया जाता रहा है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा निम्न न्यायालय आदेश को खंडित करते हुए उनके अनुज्ञप्ति को पुनर्बहाल करने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

राज्य की ओर से पक्ष रखते हुए विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम), सहरसा के द्वारा बताया गया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनवर्षा द्वारा जाँच के क्रम में जन वितरण प्रणाली विक्रेता के प्रतिष्ठान पर तत्समय उपस्थित 44 लाभुकों के बयान के आधार पर प्रतिवेदित किये जाने के पर अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति ठोस आधारों पर रद्द किया गया एवं समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा इसे सम्पुष्ट किया गया। विक्रेता द्वारा लाभुकों को अपशब्द कहना, अभद्र व्यवहार करना एवं जाँच के समय बिना किसी सूचना के दुकान बंद रखना अनुज्ञप्ति शर्त्तों का उल्लंघन है। निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया एवं सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए उचित आदेश न्यायहित में पारित किया गया है, जिसे सम्पुष्ट करने का मंतव्य दिया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोपरान्त यह परिलक्षित होता है कि वादी के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति को गंभीर आरोपों के आधार पर बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम-24 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-7 के आलोक में रद्द किया जाना तथा समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा उक्त आदेश को सम्पुष्ट किया जाना सही है। अपीलार्थी के द्वारा इस न्यायालय में भी कोई ठोस आधार/साक्ष्य नहीं रखा जा सका, जिससे उनके पुनरीक्षण आवेदन पर विचार किया जा सके। उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को यथावत रखते हुए इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की

कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।